Popular Front of India

G-78,2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindikunj, Noida Road New Delhi- 110025
website: www.popularfrontindia.org email:popularfrontmail@gmail.com Tel: 011-29949902

प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली
9 मार्च 2017

अजमेर बम विस्फोट मामले का फैसला हिंदुत्व आतंकवाद के रोल का सबूतः पॉपुलर फ्रंट

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन ई. अबूबकर ने आज अपने एक बयान में अजमेर बम विस्फोट मामले में एन.आई.ए. की विशेष अदालत के फैसले को निराशाजनक बताया। क्योंकि इसमें स्वामी असीमानंद सहित असल साज़िशकर्ताओं को बरी कर दिया गया है और इस दुर्घटना में लिप्त मास्टर माइंड को सामने नहीं लाया गया। ई. अबूबकर ने कहा कि वहीं पर देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल और रहस्यमयी रूप से मारे गए आर.एस.एस के प्रचारक सुनील जोशी को दोषी ठहराया जाना स्पष्ट रूप से 2007 के इस आतंकवादी हमले में हिंदुत्व समूहों और लीडरों के निर्विवाद रोल का सबूत पेश करता है।

शुरूआत में जाँच एजेंसियों, राजस्थान ए.टी.एस और बाद में एन.आई.ए. ने भी अपनी जाँच में इसी कट्टरपंथी हिंदू संगठन को अजमेर दरगाह और मक्का मस्जिद हैदराबाद बम विस्फोट में लिप्त पाया था। इन अपराधी ठहराए गए हिंदुत्व कार्यकर्ताओं पर अन्य बम विस्फोटों में भी उनका रोल होने का आरोप है। जाँच टीमों की यह असफलता रही है कि वे इस मामले में आरोपी पाए गए तीन आर.एस.एस लीडरों कलसांगरा, डांगे और नायर को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई हैं और उनको अभी भी फरार बताया जा रहा है। उन पर समझौता एक्सप्रेस आतंकवादी हमले और मालेगांव बम विस्फोट में भी लिप्त होने का आरोप है।

उल्लेखनीय है कि एक चार्जशीट में आर.एस.एस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार का नाम इस मामले में संदिग्ध के तौर पर ज़ाहिर किया गया था। लेकिन न तो उससे को पूछ–ताछ की गई और न ही आरोपियों की सूची में शामिल किया गया। चार्जशीट में यह भी कहा गया था कि इंद्रेश कुमार अजमेर बम विस्फोट की योजना बनाने के लिए रखी गई एक गुप्त बैठक का हिस्सा था।

ई. अबूबकर ने आतंकवादी हमलों और साज़िशों के मामलों की सुनवाई के दौरान न्यायपालिका के विचारों में टकराव की ओर भी इशारा किया। जबकि स्वामी असीमानंद को कथित तौर पर अपनी भूमिका स्वीकार करने के बावजूद शक होने का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।

लेकिन कुछ दिनों पहले देश की एक दूसरी निचली अदालत ने माओवादियों के साथ संबंध के आरोप में एक विकलांग प्रोफेसर साई बाबा को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई। पुलिस के द्वारा पेश किये गए कुछ ख़ास दस्तावेजों को ही उनकी सज़ा के लिए काफी सबूत के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। ई. अबूबकर ने मौजूदा समय में बढ़ते दोहरे रवैये के इस रूझान को बदलने और सभी मामलों में जिनमें कोई राजनीतिक पहलू शामिल हो समान न्याय को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी लोकतांत्रिक हस्तक्षेप करने की अपील की।

डायरेक्टर मीडिया एवं जनसंपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया